रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 554] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 8, 2018/श्रावण 17, 1940
No. 554] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 8, 2018/SHRAVANA 17, 1940

नीति आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 756(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग सलाहकार (गैर-विधा विशेष) भर्ती (संशोधन) नियम, 2012 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, नीति आयोग में सलाहकार (गैर- विधा विशेष) के पदों पर भर्ती की पद्धति की विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नीति आयोग, सलाहकार (गैर-विधा विशेष) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान .– उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति, –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम.	पदों की संख्या.	वर्गीकरण.	वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.	चयन पद अथवा अचयन पद.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सलाहकार (गैर-विधा विशेष)	3*(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है। **नोटः** ये पद किसी विशेष ऊर्ध्व या विशिष्टता से संबद्ध नहीं है, और प्रत्येक पद का बिल्कुल ठीक विषय पद पर पदधारी की पदोन्नति पर निर्भर करेगा।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 14 **नोटः** पदधारी को वेतन संयुक्त सलाहकार के पद से उन्नयन पर वैयक्तिक आधार पर दिया जाएगा।	चयन।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	वैयक्तिक उन्नयन पर प्रोन्नति।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा.
(11)
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में कार्यरत ऐसे विभागीय संयुक्त सलाहकारों जिन्होंने नियमित आधार पर उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या डिग्री है। **टिप्पण 1**. जहां अर्हता/पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उन मामलों में उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते उनकी अर्हता या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से भी कम न हो अथवा दो वर्ष से कम न हो (जो भी कम हो) और उन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना.	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.
(12)	**(13)**
(क) समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (प्रोन्नति के मामलों पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल है :- (1). मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), नीति आयोग – अध्यक्ष ; (2). सचिव (कार्मिक) का नाम निर्देशिती (कम से कम अपर सचिव की पंक्ति का) - सदस्य ; (3). नीति आयोग से एक अधिकारी (कम से कम अपर सचिव की पंक्ति का) - सदस्य ।	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए – 12018/02/2016-एडमिन 1 (बी)]

गुलवीना बधान, अवर सचिव

NITI AAYOG

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2018

G.S.R. 756(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission Adviser (Non-Discipline) Recruitment (Amendment) Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Adviser (Non-Discipline) in the NITI Aayog, namely:-

1. **Short title and commencement** .– (1) These rules may be called the NITI Aayog, Adviser (Non-Discipline), Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix** .– The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc** .– The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification** .– No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** .– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving** .– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of the age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with other orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
ADVISER (NON-DISCIPLINE)	3* (2018) *Subject to variation dependent on workload **Note:** These posts shall not be related to any particular Vertical or Speciality, and the exact discipline of each post will depend upon the incumbent promoted to the post.	General Central Service, Group **'A',** Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 14 in pay matrix Note: The pay to be given to the incumbent on personal basis upon upgradation from the post of Joint Adviser.	Selection.

Age limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion on personal upgradation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(11)
Promotion from amongst Departmental Joint Advisers of NITI Aayog in level – 13 in pay matrix who have rendered at least three years' service in the grade on regular basis possessing Masters' Degree or Degree in Engineering or Technology from a recognized University or Institute. **Note –** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligible service by more than half of such qualifying or eligible service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligible service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	Not applicable.

1. Chief Executive Officer (CEO), NITI Aayog – Chairman; 2. A nominee of Secretary(Personnel) (not below the rank of Additional Secretary) – Member; 3. An officer from NITI Aayog (not below the rank of Additional Secretary) – Member.	

[F. No. A-12018/02/2016- Adm. I(B)]

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.08.13 20:38:54 +05'30'